

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

Email-eerwddarbhangal@gmail.com

पत्रांक- 2577/अड्डा/लहेरियासराय, दिनांक- 10/12/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, M.I.S.
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- MIS में Project Detail Module में पुलों का नाम जोड़ने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि नाबार्ड योजनांतर्गत दरभंगा जिला के क्षेत्राधीन हनुमाननगर प्रखंड के पंचायत रतनपुरा घाट एवं त्रिमुहान घाट के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल को MIS में Project Detail Module में जोड़ने की कृपा की जाय, ताकि प्रमंडल स्तर से अद्यतन किया जा सके।

क्र०	योजना शीर्ष एवं वर्ष	योजना का नाम	लंबाई (मी० में)	अभ्युक्ति
1	दरभंगा जिला के हनुमाननगर प्रखंड अंतर्गत पंचायत रतनपुरा घाट एवं त्रिमुहान घाट के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय पुल (12X24.75M)	NABARD	304.360 मी०	

अनु०-AA की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

Singh
09/12/2022

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

पत्रांक 2577/अड्डा/लहेरियासराय

दिनांक 10/12/2022

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी (नाबार्ड), ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

Singh
09/12/2022

कार्यपालक अभियंता,

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरभंगा-1

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

क्रमांक-मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-163/2020

3442

1/11/2020

प्रेषक,

संजय दूबे, भा070स0

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपरोक्त के अन्तर्गत राज्य के दरमंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरमंगा-1 के क्षेत्राधीन हनुमाननगर प्रखंड के संवर्धन पंचायत रतनपुरा घाट एवं त्रिमुहान घाट के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण जिसकी लम्बाई 304.360 मी0 (12X24.75m.) निर्माण हेतु रु0 2456.456 लाख एवं अनुसंधान की राशि रु0 41.724 लाख अर्थात् कुल 2498.18 लाख रुपये (दो बीस करोड़ अन्धानवे लाख अठारह हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाराज,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-उप शीर्ष-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के दरमंगा जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, दरमंगा-1 के क्षेत्राधीन हनुमाननगर प्रखंड के संवर्धन पंचायत रतनपुरा घाट एवं त्रिमुहान घाट के बीच बागमती नदी पर उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल निर्माण जिसकी लम्बाई 304.360 मी0 (12X24.75m.) निर्माण हेतु रु0 2456.456 लाख एवं अनुसंधान की राशि रु0 41.724 लाख अर्थात् कुल 2498.18 लाख रुपये (दो बीस करोड़ अन्धानवे लाख अठारह हजार रुपये) की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है। इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

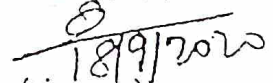
1. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरमंगा-1 द्वारा इस योजना के कार्य सम्पन्न हो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निवेदन के माध्यम से कराया जाएगा।
2. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रादेशिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी।
3. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपरोक्त जिसका विषय कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में उपबंधित रहित से विकसित होगा।
4. योजना शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परियोजना-103-ग्राम विकास-राज्य योजना-0105-ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)-उपरोक्त के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 में 300.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
5. संबंधित कार्यपालक अभियंता, द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं मौखिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल दरमंगा एवं मुख्य अभियंता-3 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करावेंगे।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दरमंगा-1 यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
7. इस योजना का चयन मा0 मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा सचिव सच्य- मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-163/2020 के पृ0 सं0- 02/टि0 पर दिनांक- 31.08.2020 को किया गया है।
8. दिभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा संचिका संख्या- मु0 अ0-4(मु0)रा0यो0-03-163/2020 के पृ0 सं0-12/प0 पर दिनांक- 31.08.2020 को इस योजना को स्वीकृति प्राप्त है।

सचिव

11.11.20

9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग एवं माननीय वित्त मंत्री द्वारा संचिका सं०- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-१६३/२०२० के पृ० सं०- ०५/टि० एवं १५/टि० पर तय है।
10. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
11. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
12. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-३७५८ दिनांक-३१.०५.२०१७ में निहित निर्देशों को अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
13. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-१६३/२०२० के पृष्ठ संख्या- १९/टि० पर दिनांक-१९-५-२०२० को प्राप्त है।
14. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
15. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयबधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
16. योजना के कार्यान्वयन के कम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यों को सतत तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा। योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सख्ती निरीक्षी प्राधिकार भी उत्तरदायी माने जाएंगे।

विश्वासभाजन


(संजय दूबे)

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-१८/९/२०२०

ज्ञापांक- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-१६३/२०२० - ३४४८

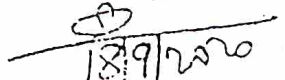
प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव

/पटना, दिनांक-१८/९/२०२०

ज्ञापांक- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-१६३/२०२० - ३४४८

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

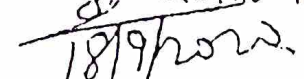

अपर सचिव

/पटना, दिनांक-१८/९/२०२०

ज्ञापांक- मु० अ०-४(मु०)रा०यो०-०३-१६३/२०२० - ३४४८

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास

विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा/जिला पदाधिकारी, दरभंगा/उप विकास आयुक्त, दरभंगा/अभियंता प्रमुख सह-सचिव, BRRDA, ग्रा० का० वि०, बिहार, पटना/मुख्य अभियंता-३, पटना, ग्रामीण कार्य विभाग/मु० अ०-४ (मुख्यालय), ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, दरभंगा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, दरभंगा-१/मुख्य महाप्रबंधक नायार्ड, बिहार क्षेत्रीय कार्यालय, (मौर्या कम्पलेक्स, पॉंचवी मंजिल) डाक बंगला रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। एम०आई०एस० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को स्टेट एम०आई०एस० में प्रविष्टि हेतु प्रेषित।


अपर सचिव